राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

वाद संख्या–71/2023

महेश कुमार बनाम् गायत्री देवी।

यह वाद श्री महेश कुमार, पिता–श्री बसन्त राय, पता–ग्राम– अदलचक डुमरिया, थाना–मनेर, **जिला–पटना** द्वारा श्रीमती गायत्री देवी, पति–श्री दशरथ कुमार सिंह उर्फ दशरथ उर्फ ललन राय, पता–ग्राम–अदलचक डुमरिया, थाना–मनेर, **जिला–पटना** (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–02, नगर परिषद् मनेर, पटना) के विरुद्व बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान के होने के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–02, नगर परिषद् मनेर, पटना के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम किशोर द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार विद्यार्थी द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **पटना** द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री आशुतोष राय, उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना, श्रीमती पूजा कुमारी, वरीय उप समाहर्त्ता–सह–प्रभारी विकास शाखा, पटना एवं श्री राजीव कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, पटना को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम किशोर द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी श्रीमती गायत्री देवी को कूल–05 संतान है, जिसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। उनके द्वारा स्वयं अपने नामांकन–पत्र में 05 सतानों का उल्लेख किया गया है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा वाद–पत्र में संलग्न प्रतिवादी के अभ्यर्थी बायोडाटा का अवलोकन कराया गया, जिसमें संतानों की संख्या पुत्र–02 एवं पुत्री–03 अंकित पायी गयी, हालाँकि पुत्री की संख्या के ऊपर अपलेखन भी पाया गया।

उनके द्वारा यह दावा किया गया कि प्रतिवादी द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेने के उद्देश्य से नामांकन–पत्र में गलत सूचना अंकित की गई, कि दिनांक–04.04.2008 के उपरांत उनका कोई संतान जन्म नहीं लिया है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया है कि प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में **मिथ्या शपथ–पत्र** भी दायर किया गया है, जो यह दावा करता है कि नामांकन–पत्र में अंकित उनकी सभी सूचनाएँ, सही हैं।

उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी के 04 संतानों का नाम एवं जन्म का वर्ष स्वयं प्रतिवादी के पति द्वारा बिहार जाति आधारित गणना में अंकित किया गया है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी के पति द्वारा अंकित सूचना के आधार पर उनकी पुत्री राखी कुमारी का जन्म वर्ष–2005, पुत्री ज्योति कुमारी का जन्म वर्ष–2007, पुत्र मिथुन कुमार का जन्म वर्ष–2009, पुत्र रिशु कुमार का जन्म वर्ष–2011 तथा पुत्री निशा कुमारी का जन्म वर्ष–2015 है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि इस प्रकार कुल तीन संतानों का जन्म वर्ष Cut of date-04-04-2008 के उपरांत है। उनके द्वारा इस तथ्य पर बल दिया गया कि बिहार जाति आधारित

गणना प्रपत्र पर स्वयं प्रतिवादी के पति श्री ललन राय का हस्ताक्षर अंकित है। अतः वह उनके संतानों के संबंध में स्वयं द्वारा अंकित सूचना को गलत नहीं कह सकते। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उक्त तथ्यों को उनके द्वारा Categorically अपने वाद–पत्र के पारा–07 एवं पारा–08 में अंकित किया गया है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा आँगनबाड़ी सर्वेक्षण पंजी, टेक होम राशन वित्तरण पंजी की छायाप्रति संलग्न की गई है।

अंत में उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन से यह प्रमाणित हो चुका है कि उनका दावा सही है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन पत्रांक–7534/निर्वा0, दिनांक–09.12.2025 में आँगनबाड़ी केन्द्र के जन्म–मृत्यु एवं टिकाकरण के अनुसार 03 संतानों मिथुन कुमार, रिशु कुमार एवं काजल कुमारी, उर्फ मोइनी उर्फ रिंकी कुमारी उर्फ निशा की जन्मतिथि–04.04.2008 के उपरांत पंजीकृत है। उनके द्वारा दावा किया गया कि यह प्रतिवेदन जिला के वरीय पदाधिकारियों द्वारा अभिलखों के सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया है, जो उनके दावें की पुष्टि करता है। अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत अर्जित निरहर्त्ता के कारण प्रतिवादी को अविलम्ब नगर परिषद् मनेर के वार्ड संख्या–02 के वार्ड पार्षद के पद से पदमुक्त किया जाना चाहिए।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी का दावा केवल परिकल्पना पर आधारित है। उनके द्वारा आयोग को बताया कि उनके वाद–पत्र में संलग्न किसी भी अभिलेख का सत्यापन नहीं हो सका है। अतः वें अभिलेख विश्वसनीय साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आ सकतें।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा जिन 05 संतानों का नाम अपने वाद–पत्र में अंकित किया गया है तथा दावा किया जा रहा है कि वें सभी प्रतिवादी की संताने हैं, पूर्णतः सही नहीं है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि निशा कुमारी उनकी पुत्री नहीं, अपितु भतीजी है।

उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा संलग्न अनुलग्नक परस्पर विरोधाभाषी हैं। वादी द्वारा केवल कल्पना के आधार पर उनके मुवक्किल के संतानों की आयु अंकित की गई है, उन्हें जन्मतिथि के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है और न ही उनके पास इसका कोई साक्ष्य है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि सभी साक्ष्य वाद के विचाराधीन रहते हुए आये है, अतएव इन साक्ष्यों का Evidentiary Value नहीं है।

आगे उनके द्वारा जिला से प्राप्त प्रतिवेदन की त्रुटियों की तरफ आयोग को ध्यानाकृष्ट किया गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवेदन में अंकित निशा कुमारी को उनकी मुवक्किल का संतान बताया जा रहा है, जबकि उस बच्ची के पिता श्री अशोक राय एवं माता श्रीमती सुलेखा राय है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल द्वारा 04 बच्चों को स्वीकार किया गया है, जबकि तथा–कथित पाँचवें बच्चें के माता–पिता अलग है। इस प्रकार उनके द्वारा

आयोग का बताया गया कि जिला का प्रतिवेदन False and Fabricated है, जिसपर Rely नहीं किया जा सकता।

जिला के प्रतिवेदन के साथ संलग्न आँगनबाड़ी से संबंधित प्रतिवेदन की त्रुटियों की तरफ भी उनके द्वारा आयोग का ध्यानाकृष्ट किया गया तथा यह दावा किया गया कि स्कूल में अंकित जन्मतिथि तथा जन्म प्रमाण–पत्र के आधार पर उनके सभी चारों संतानों की जन्मतिथि Cut of date-04.04.2008 की पूर्व की है। उनके द्वारा प्रतिवेदन के साथ संलग्न आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–200 केन्द्र संख्या अदलचक डुमरिया, नगर परिषद्, मनेर की सेविका श्रीमती गीता कुमारी के प्रतिवेदन की त्रुटियों की तरफ आयोग का ध्यानाकृष्ट कराया गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल के नाम से निर्गत टेक होम राशन की प्राप्तकर्त्ता के रूप में सुनीता देवी, सुनैना देवी एवं कहीं–कहीं अंगुठे का निशान एवं कहीं–कहीं गायत्री देवी अंकित है, जबकि उनकी मुवक्किल गायत्री देवी हस्ताक्षर करती हैं। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि आँगनबाड़ी केन्द्रों पर तैयार अभिलेख मनमाने ढ़ंग से तैयार किये जाते हैं, अतः इसके Authenticity पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार उनके द्वारा टीकाकरण पंजी में बच्चों के जन्म/आयु के हेर–फेर संबंधित त्रुटियों का अवलोकन आयोग को कराया गया।

उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उक्त सभी दस्तावेज जिनकी Authenticity प्रश्नगत् है। Disputed Question of Fact को जन्म देते है। ऐसे Documents जो Disputed हो, के आधार पर किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधी की सदस्यता समाप्त नहीं की जा सकती।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी के उक्त तर्कों का खण्डन किया गया तथा आयोग को बताया गया कि कुछ समय के लिए यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि प्रतिवादी को 05 नही 04 संतान हैं, तब भी जिला प्रशासन के सत्यापित प्रतिवेदन से यह प्रमाणित है कि 02 संतानों मिथुन कुमार एवं रिशु कुमार की जन्मतिथि–Cut of date-04.04.2008 के उपरांत ही है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि जहाँ तक निशा कुमारी का प्रश्न है। जन्म पंजीकरण पंजी में पिता का नाम दशरथ राय अंकित है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि दशरथ राय एवं ललन राय एक ही व्यक्ति है तथा रिंकी कुमारी का नाम ही निशा है। आगे उनके द्वारा यह दावा किया गया कि प्रतिवादी यह कभी Deny नहीं करती कि वह उनकी पुत्री नहीं है। आगे उनके द्वारा आयोग को यह भी बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा यह भी Deny नहीं किया गया है कि सर्वे पंजी में उनके पति श्री ललन राय का हस्ताक्षर नहीं है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि टिकाकरण के साक्ष्य भी दावें की उनकी पुष्टि करते है।

उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी प्रारंभ में Thumb Impression का प्रयोग ही करती थी, लेकिन बाद में उनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने लगा। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि भिन्न–भिन्न राशन प्राप्तकर्त्ता प्रतिवादी के संबंधी है। Thumb Impression के बगल में Thumb Impression देने वाले का नाम अंकित किया जाता है। स्वयं गायत्री देवी द्वारा एक जगह पर Thumb Impression देकर राशन प्राप्त किया गया, जिसके बगल में उनका नाम अंकित है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी के उक्त तर्कों का प्रतिवाद किया गया तथा आयोग को बताया गया कि भिन्न–भिन्न नामों पर वादी का जवाब संतोषजनक नहीं हैं, क्योंकि इतने अधिक संख्या में Relatives दूसरे के स्थान पर राशन प्राप्त नहीं कर सकतें। सभी L.T.I. (Left Thumb Impression) एक जैसे प्रतीत होते है, जो कि यह सिद्ध करते है कि अभिलेख False and Fabricated है। केवल Legal Gateway से इसकी सत्यता प्रमाणित हो सकती है। प्रतिवेदन में कोई 'मेडिकल रिपोर्ट' अथवा वैज्ञानिक प्रमाण प्रतिवेदन के साथ संलग्न नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसे किसी व्यक्ति का आयु निर्धारित कर सकते है ? आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि एक बच्चे के नाम में चार बार उर्फ लगाया गया है, जो कि जिला प्रशासन के Dilemma को दर्शाता है। अतः वाद को खारिज किया जाना चाहिए।

5. **जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–7534/निर्वा0, दिनांक–09.12.2025 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पटना द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् हैः–**

''आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–200, केन्द्र का नाम–अदलक डुमरिया, में संधारित जन्म पंजी का अवलोकन किया गया। जन्म पंजी में पोषण क्षेत्र के अन्तर्गत जन्म लेने वाली संतानों का आँगनबाड़ी सेविका श्रीमती गीता कुमारी के द्वारा निम्न विवरण अंकित किया गया है। उक्त पंजी में क्रम संख्या–09 पर रेणु कुमारी पुत्री ललन राय जन्मतिथि–25.02.2007 अंकित है। जिसके संबंध में आँगनबाड़ी सेविका, श्रीमती गीता कुमारी एवं संबंधित केन्द्र की महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती हेमलता जायसवाल के द्वारा बताया गया कि वर्ष–2007 में सर्वे के दौरान दशरथ राय उर्फ ललन राय एवं गायत्री देवी के परिवार में शिशुओं के जन्म पंजीकरण के दौरान ललन राय के बेटी की जन्मतिथि दर्ज की गई थी। सेविका एवं महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा बताया गया कि रेणु कुमारी का अन्य नाम ज्योति कुमारी भी है।

क्रम संख्या–72 पर राखी कुमारी, पिता ललन राय, उम्र–03 वर्ष अंकित है। सेविका के अनुसार गायत्री देवी एवं ललन राय के एक और संतान लड़का जिनका जन्मतिथि–11.04.2010 अंकित किया गया है सेविका के द्वारा बताया गया कि इसी संतान का नाम मिथुन कुमार है।

गायत्री देवी एवं ललन राय की एक संतान का जन्म शनिवार लड़का 07.07.2012 अंकित है। सेविका के द्वारा बताया गया कि इसी लड़का का नाम रिषु कुमार है।

गायत्री देवी एवं ललन राय की एक संतान बेटी जन्मतिथि दिनांक–09.12.2014 प्राइवेट 03 किलोग्राम अंकित है। इसी प्रकार गायत्री देवी एवं ललन राय उर्फ दशरथ राय के पाँच संतानों की विवरण जन्म पंजी में अंकित है। सेविका के द्वारा बताया गया कि इस संतान का पुकारू नाम निशा उर्फ काजल उर्फ मोइनी उर्फ रिंकी भी है।

महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा बताया गया कि जन्म से 02 वर्ष के सर्वे रजिस्टर में भी रिंकी कुमारी, पिता दशरथ राय, जिनकी जन्मतिथि–09.12.2014 अंकित है। जिसे बी0सी0जी0 का टीका

दिनांक–26.12.2014 को केन्द्र पर लगाया गया है। टीकाकरण पंजी में क्रम संख्या–51 पर रिंकी कुमारी माता–गायत्री देवी, पिता– दशरथ राय, सुअरमरवाँ, सम्पूर्ण पता–डुमरियाँ, जन्मतिथि–09.12.2014 अंकित है। उसे 26.12.2014 को बी0सी0जी0 का टीका एवं 04.03.2015 को डी0पी0टी0–1 तथा दिनांक–22.05.2015 को डी0पी0टी0 टीका दिया गया है।

टी0एच0आर0 पंजी के अनुसार दिनांक–21.11.2015 से 28.07.2018 तक लगातार टेक होम राशन के पृष्ठ संख्या–03 से 69 तक विभिन्न तिथियों में काजल कुमारी, पिता–ललन राय का नाम अंकित है। दिनांक–31.10.2024 को अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, मनेर, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकरी, मनेर, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के द्वारा भी जाँच की गयी। जाँच के क्रम में गायत्री देवी के जेठानी सुलेखा देवी, पति–अशोक राय के द्वारा दिये गये बयान में स्वीकार किया गया कि गायत्री देवी के पाँच संताने हैं तथा पाँचवी संतान रिंकी उर्फ काजल का नाम हिमालयन वर्ल्ड स्कूल, मनेर में दर्ज नाम में माता–पिता के नाम के रूप में माता का नाम–सुलेखा देवी एवं पिता का नाम–अशोक राय अंकित कराया गया है।

अतः उक्त के आलोक में प्राप्त प्रतिवेदन एवं दस्तावेज के अवलोकन पश्चात् गायत्री देवी, पति–ललन राय उर्फ दशरथ राय के पाँच संतानों का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0स0	पंजी का नाम	पंजी के अनुसार बच्चे का नाम	पंजीकृत जन्मतिथि	भौतिक रूप से देखने पर अनुमानित लगभग आयु
01	जन्म–मृत्यु पंजी एवं टीकाकरण पंजी	राखी कुमारी	पंजी में उम्र 03 वर्ष है	19–20 वर्ष
02		रेणु कुमारी उर्फ ज्योति कुमारी	25.02.2007	17–18 वर्ष
03		मिथुन कुमर	11.04.2010	14–15 वर्ष
04		रिषु कुमार	07.07.2012	12–13 वर्ष
05		काजल कुमारी उर्फ मोइनी उर्फ रिंकी कुमारी उर्फ निशा	09.12.2014	10 वर्ष

प्राथमिक अदलचक डुमरियाँ में उपलब्ध शैक्षणिक दस्तावेज के जाँच के दौरान विद्यालय में शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी राखी कुमारी, पिता–दशरथ राय, माता–गायत्री देवी, निवास–ग्राम–अदलचक डुमरियाँ, मनेर का स्थानांतरण का प्रमाण–पत्र विद्यालय द्वारा निर्गत पाया गया जिसका प्रमाण–पत्र संख्या–90 है। उक्त स्थानांतरण प्रमाण–पत्र में राखी कुमारी का प्रवेश पंजी में अंकित जन्मतिथि–20.04.2006, प्रवेश की तिथि–03.05.2012 प्रवेश पंजी की क्रम संख्या–17 तथा विद्यालय परित्याग की तिथि–04.07.2015 एवं पंचम वर्ग में विद्यार्थी के का पढ़ने का उल्लेख है।

प्राथमिक अदलचक डुमरियाँ में ही गायत्री देवी, पति–दशरथ राय की दुसरी पुत्री ज्योति कुमारी(जन्मतिथि–16.06.2009) का दिनांक–09.05.2018 को प्रवेश संख्या–16 पर प्रवेश पंजी में दर्ज है।

हिमालयन वर्ल्ड स्कूल, मनेर में उपलब्ध कम्प्यूटर दस्तावेज के अनुसार मिथुन कुमार, पिता–दशरथ राय, माता–गायत्री देवी, जन्मतिथि–01.01.2006 प्रवेश की तिथि–12.09.2023 कक्षा यू0के0जी0 सेक्शन(A), प्रवेश नं0–2023088 एवं रौल नं0–30 संपर्क मो0–6200392800 दर्ज है।

हिमालयन वर्ल्ड स्कूल, मनेर में उपलब्ध कम्प्यूटर दस्तावेज के अनुसार गायत्री देवी के संतान रिषु कुमार, पिता–दशरथ राय, माता–गायत्री देवी, प्रवेश संख्या–2023087 कक्षा–1 वर्ग–1 जन्मतिथि–22.05.2019 प्रवेश की तिथि–12.09.2023 रौल नं0–37 संपर्क मो0–6200392800 दर्ज है।

हिमालयन वर्ल्ड स्कूल, मनेर में उपलब्ध कम्प्यूटर दस्तावेज के अनुसार निशा कुमारी, पिता–अशोक राय, माता–सुलेखा देवी, कक्षा एल0के0जी0 वर्ग–बी जन्मतिथि–09.03.2016 प्रवेश की तिथि–12.09.2023 प्रवेश संख्या–2023086 संपर्क मो0–6200392800 दर्ज है।

विदित हो कि हिमालयन वर्ल्ड स्कूल द्वारा विद्यार्थियों के पंजीकरण से संबंधित कोई अन्य प्रवेश पंजी संधारित होने से इनकार किया गया।

हिमालयन वर्ल्ड स्कूल, मनेर में उपलब्ध कम्प्यूटर दस्तावेज के अनुसार गायत्री देवी के संतान मिथुन की आयु दस्तावेज के अनुसार 18 वर्ष एवं रिषु की आयु दस्तावेज के अनुसार 05 वर्ष होनी चाहियें, जबकि **भौतिक रूप** से देखने पर मिथुन के आयु लगभग 14 वर्ष एवं रिषु की आयु लगभग 11 से 12 वर्ष प्रतीत होती है।

निशा कुमारी उर्फ रिंकी कुमारी के माता–पिता के संबंध में स्थानीय पूछ–ताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि निशा कुमारी के माता–पिता गायत्री देवी एवं ललन राय उर्फ दशरथ राय ही है।

अतः उक्त के आलोक में बाल विकास परियोजना (आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–200) के प्राथमिक दस्तावेज एवं हिमालयन वर्ल्ड स्कूल के कम्प्यूटर दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हिमालयन वर्ल्ड स्कूल में पंजीकृत मिथुन, रिषु एवं निशा के विवरणों का त्रुटिपूर्ण ढ़ंग से एक ही तिथि–12.09.2023 को पंजीकृत दर्शाया गया है, जिससे हिमालयन वर्ल्ड स्कूल के दस्तावेज संदेहास्पद प्रतीत होता है। उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेज साक्ष्य के आलोक में गायत्री देवी के संतानों के आयु/जन्म के संबंध में बाल विकास परियोजना के कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज की सत्यता एवं प्रमाणिकता स्वीकार योग्य है।''

6. **आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पटना का प्रतिवेदन अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–**

''आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद/विवाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्रीमती गायत्री देवी (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–02, नगर परिषद् मनेर, पटना) द्वारा दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतानों के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत चुनाव पूर्व अयोग्यता होने के बावजूद गलत शपथ–पत्र एवं सूचना के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–02, नगर परिषद् मनेर, पटना के पद पर निर्वाचित हो गई है।''

आयोग द्वारा पाया गया कि वादी का दावा एवं तर्क अभिलेखीय साक्ष्यों पर आधारित है। प्रतिवादी द्वारा अभ्यर्थी बायोडाटा में अपने संतानों की संख्या वाले कंडिका में पुत्र की संख्या–02 अंकित की गई है, जबकि पुत्री की संख्या–03 अंकित कर उसे Overwrite कर 02 कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के लिए स्वयं की संतान की संख्या के संबंध में संशय नहीं हो सकता, प्रतिवादी के मन में इस संशय का कारण यही है कि उनके द्वारा अपने वास्तविक संतान की संख्या की सूचना संभवतः छिपानी थी।

आयोग वादी के इस तर्क से सहमत है कि बिहार जाति आधारित जनगणना के प्रपत्र में अंकित सभी पाँचों बच्चे प्रतिवादी के संतान है तथा उनकी आयु भी ठीक वही है, जो स्वयं इनके पति द्वारा अंकित की गई है। प्रतिवादी द्वारा कभी भी उक्त प्रपत्र पर अंकित हस्ताक्षर को Deny नहीं किया गया है, जो इसकी प्रमाणिकता को स्वयं सिद्ध करता है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पटना के सत्यापन प्रतिवेदन से भी यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी के तीन संतान क्रमशः मिथुन कुमार रिशु कुमार एवं काजल कुमारी उर्फ मोइनी उर्फ रिंकी कुमारी उर्फ निशा की जन्मतिथि दिनांक–04.04.2008 के उपरांत है। आयोग वादी के इस तर्क से भी सहमत है कि यदि अंतिम संतान निशा को प्रतिवादी की भतीजी भी मान लिया जाए, तब भी प्रतिवादी को कुल 04 संतान है, जिसमें से दो की जन्मतिथि Cut of date-04.04.2008 के उपरांत होने के कारण उनपर अयोग्यत का प्रावधान स्वतः प्रभावी होता है, हालाँकि जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिवेदन से किसी प्रकार के संशय का स्थान शेष नही रह जाता।

आयोग प्रतिवादी के इस तर्क से सहमत नहीं है कि आँगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध अभिलेख विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, क्योंकि आँगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध अभिलेख Primary Public Document की श्रेणी में आते है, जिनका Highest Evidentiary Value है। सत्यापन प्रतिवेदन के साथ संलग्न कई प्रविष्टियों में प्रतिवादी द्वारा अंगुठा का निशान दिया गया है।

आयोग द्वारा यह भी पाया गया कि अभिलेखों के सत्यापन में यह तथ्य सामने आया है कि प्रतिवादी द्वारा हिमालयन वर्ल्ड स्कूल, मनेर में अध्ययनरत संतानों के जन्मतिथियों एवं अन्य आवश्यक प्रविष्टियों को तोड़–मरोड़ कर अंकित कराया गया है, जिससे इनकी विश्वसनीयता एवं अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में महत्व स्वीकार योग्य नहीं है। इस तथ्य के उजागर होने से प्रतिवादी के सत्यनिष्ठा पर भी प्रश्नचिन्ह् खड़ा होता है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती गायत्री देवी को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण चुनाव पूर्व अयोग्यता का धारण संवीक्षा की तिथि को करती थी, इसके बावजूद वे तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ–पत्र के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–02, नगर परिषद् मनेर, पटना के पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रही। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्रीमती गायत्री देवी को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m)

सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य/निरर्हित घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–02, नगर परिषद् मनेर, पटना के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–02, नगर परिषद् मनेर, पटना का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) जिला पदाधिकारी, पटना को आदेश दिया जाता है कि श्रीमती गायत्री देवी के विरूद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना के रूप में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
30.03.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
30.03.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–71/2023 1362 पटना, दिनांक–30/3/2026

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/26
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–71/2023 1362 पटना, दिनांक–30/3/2026

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **पटना**/उप निर्वाचन पदाधिकारी, **पटना** सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निर्वाचन पदाधिकारी, **पटना** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

30/3/26
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–71/2023 1362 पटना, दिनांक–30/3/2026

प्रतिलिपि–श्री महेश कुमार, पिता–श्री बसन्त राय, पता–ग्राम– अदलचक डुमरिया, थाना–मनेर, **जिला–पटना** एवं श्रीमती गायत्री देवी, पति–श्री दशरथ कुमार सिंह उर्फ दशरथ उर्फ ललन राय, पता–ग्राम–अदलचक डुमरिया, थाना–मनेर, **जिला–पटना** (पदमुक्त वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–02, नगर परिषद् मनेर, पटना) को सूचनार्थ प्रेषित।

30/3/26
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–71/2023 1362 पटना, दिनांक–30/3/2026

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर/श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, (निर्वाचन शाखा), राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/26
विशेष कार्य पदाधिकारी